न्यायालय:– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंबिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.)

-// संशोधित **विविध आदेश**//-

क्रमांक:/क/मु.न्या.मजि./2025 अंबिकापुर दिनांक– / /2025

मैं सुमित कुमार हर्षयाना, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंबिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.), माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर तथा माननीय सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (छ.ग.) के अधीन एवं नियंत्रण में रहते हुये दाण्डिक कार्य विभाजन के संबंध में पूर्व में जारी किये गये आदेश दिनांक 01.01.2025 को संशोधित करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा –12 (1) एवं धारा–13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला सरगुजा में पदस्थ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर एवं सीतापुर के मध्य दाण्डिक प्रकरणों एवं कार्यों का विभाजन निम्नानुसार करता हूं, जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा, अम्बिकापुर के अनुमोदन के पश्चात् प्रभावशील होगा:–

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट के नाम एवं पद	आबंटित आरक्षी केन्द्र का नाम	कार्य एवं क्षेत्राधिकार का विवरण
01	02	03	04
01	सुमित कुमार हर्षयाना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सरगुजा) अंबिकापुर	1–कोतवाली अंबिकापुर 2–मणीपुर 3–गांधीनगर 4–संभागीय आबकारी, उड़नदस्ता, सरगुजा 5–आबकारी वृत्त अम्बिकापुर 6–यातायात 7–आर.टी.ओ.।	**1–** स्तंभ क्र–3 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले आपराधिक/परिवाद प्रकरणों का निराकरण करना जिसमें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1954 भारतीय वन अधिनियम 1927, मोटरयान संहिता, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, चलचित्र अधिनियम 1944 नापतौल अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम 1958, खान अधिनियम 1952, छ.ग.आबकारी अधिनियम, कारखाना अधिनियम 1947, संविदा एवं श्रमिक अधिनियम, नगर निगम अधिनियम 1961, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, Bueau of Indian Standards Act 2016, N.D.P.S –1985 के अल्प मात्रा तक के प्रकरण शामिल है । **2–** स्तंभ क्र–3 में वर्णित थानों के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना। **3–** थाना कोतवाली, गांधीनगर एवं मणीपुर से उत्पन्न धारा 138 लिखत परक्राम्य अधिनियम से उत्पन्न प्रकरणों का निराकरण करना । **4–** संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। **5–**स्तंभ क्र–3 में वर्णित थानों से उत्पन्न परिवाद तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का

			संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रकरण भी शामिल हैं, का निराकरण करना। **6–** राजस्व जिला सरगुजा के समस्त थाने से उत्पन्न ईनामी चिट एवं धन परिचालन पाबंदी (स्कीम) अधिनियम 1978 से संबंधित मामलों का निराकरण करना । **7–** सरगुजा जिला में उत्पन्न सभी थानों के क्षेत्राधिकार से तेजाब द्वारा चोट पहुंचाने से संबंधित मामलों का निराकरण करना । **8–** सरगुजा जिले के समस्त थाना क्षेत्र के खारिजी प्रकरण का निराकरण करना । **9–** सरगुजा जिला से उत्पन्न होने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944, विदेशी व्यापार (विकास और विनियम) अधिनियम 1992, कम्पनी अधिनियम 1957, धन कर अधिनियम 1957, दानकर अधिनियम 1958 आयकर अधिनियम 1961, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963, कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम 1964, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969 एवं विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 का संज्ञान लेना व उनका निराकरण करना । **10–** ऐसे अन्य प्रकरण जो इस कार्य विभाजन आदेश में आबंटित नहीं है तथा ऐसे प्रकरण जो किसी विधि या अधिनियम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही विचारणीय है, उनका निराकरण करना । **11–** सरगुजा राजस्व जिले से उत्पन्न (सीतापुर न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) Pre–Conception and Pre–Natal Diagnostic Techniques (prohibition of sex selection) Act 1994 के अपराध के मामलों का विचारण करना। **12–** क्षमा प्राप्त अभियुक्तों के मामले । **13–** सरगुजा राजस्व जिले के समस्त आरक्षी केन्द्रो से उद्भूत/उत्पन्न लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त मामले । **14–** माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत संघ, माननीय उच्च न्यायालय, छ.ग. बिलासपुर एवं माननीय सत्र न्यायाधीश, सरगुजा–अम्बिकापुर द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों एवं मामलों का निराकरण करना ।

02	श्रीमती बरखा रानी वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर	1. उदयपुर	**1–** स्तंभ क्र–3 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले आपराधिक/परिवाद प्रकरणों का निराकरण करना जिसमें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1954 भारतीय वन अधिनियम 1927, मोटर यान संहिता, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, चलचित्र अधिनियम 1944 नापतौल अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम 1958, खान अधिनियम 1952, छ.ग. आबकारी अधिनियम, कारखाना अधिनियम 1947, संविदा एवं श्रमिक अधिनियम, नगर निगम अधिनियम 1961, वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, Bureau of Indian Standards Act, 2016, एन.डी.पी.एस.एक्ट –1985 के अल्प मात्रा तक के प्रकरण शामिल है । **2–** स्तंभ क्र–3 में वर्णित थानों के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना । **3–** थाना उदयपुर से उत्पन्न धारा 138 लिखत परक्राम्य अधिनियम से उत्पन्न प्रकरणों का निराकरण करना। **4–** संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007 **5–** स्तंभ क्र–3 में वर्णित थानों से उत्पन्न परिवाद तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रकरण भी शामिल हैं, का निराकरण करना। **6–** माननीय सत्र न्यायाधीश, सरगुजा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंबिकापुर द्वारा समय–समय पर सौंपे गये समस्त कार्यों/मामलों का निराकरण करना ।
03	श्री गिरिवर सिंह राजपूत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर	1–लखनपुर 2–आबकारी वृत्त लखनपुर	**1–** स्तंभ क्र–3 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले आपराधिक/परिवाद प्रकरणों का निराकरण करना जिसमें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1954 भारतीय वन अधिनियम 1927, मोटर यान संहिता, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, चलचित्र अधिनियम 1944 नापतौल अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम 1958, खान अधिनियम 1952, छ.ग. आबकारी अधिनियम, कारखाना अधिनियम 1947, संविदा एवं श्रमिक अधिनियम, नगर निगम अधिनियम 1961, वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, Bureau of Indian Standards Act, 2016,

			एन.डी.पी.एस.एक्ट –1985 के अल्प मात्रा तक के प्रकरण शामिल है । **2–** स्तंभ क्र–3 में वर्णित थानों के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना । **3–** थाना लखनपुर से उत्पन्न धारा 138 लिखत परक्राम्य अधिनियम से उत्पन्न प्रकरणों का निराकरण करना। **4–** संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007 **5–** स्तंभ क्र–3 में वर्णित थानों से उत्पन्न परिवाद तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रकरण भी शामिल हैं, का निराकरण करना। **6–** माननीय सत्र न्यायाधीश, सरगुजा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंबिकापुर द्वारा समय–समय पर सौंपे गये समस्त कार्यों/मामलों का निराकरण करना ।
04	श्रीमती कल्पना भगत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर	1. दरिमा	**1–** स्तंभ क्र–3 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले आपराधिक/परिवाद प्रकरणों का निराकरण करना जिसमें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1954 भारतीय वन अधिनियम 1927, मोटर यान संहिता, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, चलचित्र अधिनियम 1944 नापतौल अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम 1958, खान अधिनियम 1952, छ.ग. आबकारी अधिनियम, कारखाना अधिनियम 1947, संविदा एवं श्रमिक अधिनियम, नगर निगम अधिनियम 1961, वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, Bureau of Indian Standards Act, 2016, एन.डी.पी.एस.एक्ट –1985 के अल्प मात्रा तक के प्रकरण शामिल है । **2–** स्तंभ क्र–3 में वर्णित थानों के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना । **3–** थाना दरिमा से उत्पन्न धारा 138 लिखत परक्राम्य अधिनियम से उत्पन्न प्रकरणों का निराकरण करना। **4–** संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007 **5–** स्तंभ क्र–3 में वर्णित थानों से उत्पन्न परिवाद तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रकरण भी शामिल हैं, का निराकरण करना।

			6– माननीय सत्र न्यायाधीश, सरगुजा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंबिकापुर द्वारा समय–समय पर सौंपे गये समस्त कार्यों/मामलों का निराकरण करना ।
05	सुश्री प्रांजलि नेताम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर	1–महिला थाना अम्बिकापुर 2–लुण्ड्रा	**1–** स्तंभ क्र–3 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले आपराधिक/परिवाद प्रकरणों का निराकरण करना जिसमें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1954 भारतीय वन अधिनियम 1927, मोटरयान संहिता, आवष्यक वस्तु अधिनियम 1955, चलचित्र अधिनियम 1944 नापतौल अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम 1958, खान अधिनियम 1952, छ.ग.आबकारी अधिनियम, कारखाना अधिनियम 1947, संविदा एवं श्रमिक अधिनियम, नगर निगम अधिनियम 1961, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, Bureau of Indian Standards Act, 2016, एन.डी.पी.एस.एक्ट–1985 के अल्प मात्रा तक के प्रकरण शामिल है। **2–** स्तंभ क्र–3 में वर्णित थानों के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना। **3–** थाना लुण्ड्रा से उत्पन्न धारा 138 लिखत परक्राम्य अधिनियम से उत्पन्न प्रकरणों का निराकरण करना। **4–** संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007 **5–** स्तंभ क्र.–3 में वर्णित थानों से उत्पन्न परिवाद तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रकरण भी शाामिल हैं, का निराकरण करना। **6–** समस्त थाना (सीतापुर न्यायालय से संबंधित थाना कमलेश्वरपुर, बतौली एवं सीतापुर को छोड़कर) से उत्पन्न धारा 354, 354 क, 354 ख, 354 ग, 354 घ, 509 भा.दं.सं. एवं धारा 74 से 79 भा.न्या.सं. 2023 के प्रकरणों का निराकरण करना। **7–** माननीय सत्र न्यायाधीश, सरगुजा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंबिकापुर द्वारा समय–समय पर सौंपे गये समस्त कार्यों /मामलों का निराकरण करना ।
06	श्री अरिंदम नेरल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंबिकापुर	1–धौरपुर	**1–** स्तंभ क्र–3 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले आपराधिक/परिवाद प्रकरणों का निराकरण करना जिसमें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, औषधि एवं

			प्रसाधन अधिनियम 1954 भारतीय वन अधिनियम 1927, मोटरयान संहिता, आवष्यक वस्तु अधिनियम 1955, चलचित्र अधिनियम 1944 नापतौल अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम 1958, खान अधिनियम 1952, छ.ग. आबकारी अधिनियम, कारखाना अधिनियम 1947, संविदा एवं श्रमिक अधिनियम, नगर निगम अधिनियम 1961, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, Bureau of Indian Standards Act, 2016, एन.डी.पी.एस.एक्ट–1985 के अल्प मात्रा तक के प्रकरण शामिल है। **2–** स्तंभ क्र–3 में वर्णित थानों के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना। **3–** थाना धौरपुर से उत्पन्न धारा 138 लिखत परक्राम्य अधिनियम से उत्पन्न प्रकरणों का निराकरण करना। **4–** संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007 **5–** स्तंभ क्र–3 में वर्णित थानों से उत्पन्न परिवाद तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रकरण भी शामिल हैं, का निराकरण करना। **6–** माननीय सत्र न्यायाधीश, सरगुजा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंबिकापुर द्वारा समय पर सौंपे गये समस्त कार्यों /मामलों का निराकरण करना
07	सुश्री पूजा मंडावी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीतापुर	1–सीतापुर 2–बतौली 3–कमलेश्वरपुर 4–आबकारी वृत्त सीतापुर	**1–** स्तंभ क्र–3 में वर्णित थानों से उत्पन्न होने वाले आपराधिक/परिवाद प्रकरणों का निराकरण करना जिसमें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1954 भारतीय वन अधिनियम 1927, मोटरयान संहिता, आवष्यक वस्तु अधिनियम 1955, चलचित्र अधिनियम 1944 नापतौल अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम 1958, खान अधिनियम 1952, छ.ग.आबकारी अधिनियम, कारखाना अधिनियम 1947, संविदा एवं श्रमिक अधिनियम, नगर निगम अधिनियम 1961, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, Bureau of Indian Standards Act, 2016, एन.डी.पी.एस.एक्ट–1985 के अल्प मात्रा तक के प्रकरण शामिल है । **2–** स्तंभ क्र–3 में वर्णित थानों के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त खात्मा प्रकरणों का

			निराकरण करना। **3–** स्तंभ क्र–3 में वर्णित थानों से उत्पन्न धारा 138 लिखत परक्राम्य अधिनियम से उत्पन्न प्रकरणों का निराकरण करना। **4–** संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007 **5–** स्तंभ क्र–3 में वर्णित थानों से उत्पन्न परिवाद तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रकरण भी शामिल हैं, का निराकरण करना । **6–** थाना कमलेश्वरपुर, बतौली एवं सीतापुर से उत्पन्न धारा 354, 354 क, 354 ख, 354 ग, 354 घ, 509 भा.दं.सं. एवं धारा 74, 78, 79 भा.न्या.सं. के प्रकरणों का निराकरण करना। **7–** थाना कमलेश्वरपुर, बतौली एवं सीतापुर से उत्पन्न Pre–Conception and Pre–Natal Diagnostic Techniques (prohibition of sex selection) Act 1994 के अपराध के मामलों का विचारण करना। **8–** माननीय सत्र न्यायाधीश, सरगुजा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंबिकापुर द्वारा समय पर सौंपे गये समस्त कार्यों/मामलों का निराकरण करना।

–// आवश्यक टीप //–

01. किसी भी अधिनियम से संबंधित अपराध के संबंध में यदि कोई शंका की स्थिति निर्मित होती है, तब ऐसी स्थिति में ऐसे प्रकरणों का निराकरण मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठ मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा।

02. न्यायालय, **श्री दुलार सिंह, श्रीमती अपूर्वा खरे दांगी, श्रीमती अदिति ठाकुर, श्री देवाशीष ठाकुर** के न्यायालय से संबंधित कोई भी जारी स्थाई वारंट, विविध कार्यवाही तथा माननीय अपीलीय न्यायालय से अभिलेख रिमाण्ड होने पश्चात् अथवा अपील के निराकरण पश्चात् प्राप्त होता है और उक्त न्यायालय से संबंधित यदि कोई माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा अन्य कोई आदेश दिया जाता है, तो ऐसे मामलों की सुनवाई हेतु संबंधित अभिलेख **श्रीमती बरखा रानी वर्मा** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर के न्यायालय को भेजा जायेगा और उनके द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी।

03. न्यायालय, **श्री मोहित सिंह, श्री डी.पी.एस. दांगी, श्रीमती सरोजनी जनार्दन खरे, एवं आकांक्षा सक्सेना** के न्यायालय से संबंधित कोई भी जारी स्थाई वारंट, विविध कार्यवाही तथा माननीय अपीलीय न्यायालय से अभिलेख रिमाण्ड होने पश्चात् अथवा अपील के निराकरण पश्चात् प्राप्त होता है और उक्त न्यायालय से संबंधित यदि कोई माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा अन्य कोई आदेश दिया जाता है, तो ऐसे मामलों की सुनवाई हेतु संबंधित अभिलेख **श्री गिरिवर सिंह राजपूत** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर के न्यायालय को भेजा जायेगा और उनके द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी।

04. न्यायालय, **श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव, सुश्री खिलेश्वरी सिन्हा, श्रीमती प्रिया रजक एवं सुश्री गायत्री साय** के न्यायालय से संबंधित कोई भी जारी स्थाई वारंट, विविध कार्यवाही तथा माननीय अपीलीय न्यायालय से अभिलेख रिमाण्ड होने पश्चात् अथवा अपील के निराकरण पश्चात् प्राप्त होता है और उक्त न्यायालय से संबंधित यदि कोई माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा अन्य कोई आदेश दिया जाता है, तो ऐसे मामलों की सुनवाई हेतु संबंधित अभिलेख **श्रीमती कल्पना भगत** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर के न्यायालय को भेजा जायेगा और उनके द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी।

05. न्यायालय **श्री निलेश जगदल्ला, सुश्री रंजू वैष्णव, श्रीमती रश्मि मिश्रा एवं सुश्री कृति कुजूर** के न्यायालय से संबंधित कोई भी जारी स्थाई वारंट, विविध कार्यवाही तथा माननीय अपीलीय न्यायालय से अभिलेख रिमाण्ड होने पश्चात् अथवा अपील के निराकरण पश्चात् प्राप्त होता है और उक्त न्यायालय से संबंधित यदि कोई माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा अन्य कोई आदेश दिया जाता है, तो ऐसे मामलों की सुनवाई हेतु संबंधित अभिलेख **सुश्री प्रांजलि नेताम,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर के न्यायालय को भेजा जायेगा और उनके द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी।

06. न्यायालय **श्री भूपेश बसंत, जेनिफर लकड़ा एवं श्रीमती श्वेता गोस्वामी** के न्यायालय से संबंधित कोई भी जारी स्थाई वारंट, विविध कार्यवाही तथा माननीय अपीलीय न्यायालय से अभिलेख रिमाण्ड होने पश्चात् अथवा अपील के निराकरण पश्चात् प्राप्त होता है और उक्त न्यायालय से संबंधित यदि कोई माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा अन्य कोई आदेश दिया जाता है, तो ऐसे मामलों की सुनवाई हेतु संबंधित अभिलेख **श्री अरिंदम नेरल,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर के न्यायालय को भेजा जायेगा और उनके द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी।

07. इसके अतिरिक्त अन्य किसी न्यायालय से संबंधित कोई भी जारी स्थाई वारंट, विविध कार्यवाही तथा माननीय अपीलीय न्यायालय से अभिलेख रिमाण्ड होने पश्चात् अथवा अपील के निराकरण पश्चात् प्राप्त होता है और उक्त न्यायालय से संबंधित यदि कोई माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा अन्य कोई आदेश दिया जाता है, तो ऐसे मामलों की सुनवाई हेतु संबंधित अभिलेख संबंधित थाना क्षेत्रांतर्गत वाले न्यायालय को भेजा जायेगा और उनके द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी ।

08. किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने अथवा शासकीय दौरे पर रहने या मुख्यालय से बाहर रहने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने पर उनके न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य तथा किसी न्यायालय के रिक्त रहने पर प्रस्तुत होने वाले नवीन प्रकरण *तालिका क्रमांक 1* के अनुसार बढ़ते हुए क्रम से संपादित/सुनवायी की जावेगी ।

09. पीठासीन अधिकारी किशोर न्याय बोर्ड अम्बिकापुर के प्रत्येक सप्ताह में गुरूवार, शुक्रवार को किशोर न्याय बोर्ड अम्बिकापुर में बैठक होने के कारण उक्त दिनों में उनके न्यायालय में पूर्व से नियत प्रकरणों अथवा तात्कालिक सुनवाई हेतु प्रकरणों का निराकरण *तालिका क्रमांक 1* के अनुसार बढ़ते हुए क्रम से संपादित किया जायेगा।

10. धारा–183 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत साक्ष्य एवं संस्वीकृतियों को तालिका 2 के अनुसार संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा दर्ज किया जायेगा । तालिका 2 के अनुसार यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट **लगा**तार अवकाश पर चला जाता है, तो उसके नाम के आगे बढ़ते हुए क्रम में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा संबंधित थाने के धारा–183 भा.ना.सु.सं. के तहत संस्वीकृति/कथन दर्ज करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

11. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश में रहने पर उनके अधिकारिता वाले थाना क्षेत्रों से संबंधित संक्षिप्त विचारण वाले समस्त प्रकरण उनके अनुपस्थिति में प्रभार वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेगें तथा पंजीबद्ध किया जाकर निराकृत किये जायेंगे ।

12. सरगुजा राजस्व जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, माननीय सत्र न्यायाधीश को सूचित करते हुए मोटरयान संहिता के अपराध के संबंध में चलित न्यायालय लगा सकेंगे ।

13. सरगुजा–अम्बिकापुर मुख्यालय में पदस्थ एवं बाहय स्थानों में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी संक्षिप्त विचारण की शक्तियों से शासित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा क्षेत्राधिकारिता रखने वाले क्षेत्र में माननीय सत्र न्यायाधीश अम्बिकापुर की पूर्वानुमति से एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , अंबिकापुर को सूचित करते हुये, जो दैनिक न्यायालय कार्य को प्रभावित किये बिना किया जायेगा, चलित न्यायालय अपने थानों के क्षेत्राधिकार में लगाये जा सकेगें।

14. संबंधित मजिस्ट्रेट के अनुपस्थित रहने पर माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेशानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट के वरिष्ठता क्रम के अनुसार दूसरे मजिस्ट्रेट उस प्रकरण के संज्ञान लेने हेतु अधिकृत रहेंगे, जिसमें अभियुक्त जुर्म स्वीकार करना चाहता हो तथा निराकरण करते समय ध्यान रखे कि दं.प्र.सं. की धारा–468(2) एवं भा.ना.सु.सं. की धारा–514(2) के उपबंधों की अवहेलना न हों ।

15. सरगुजा राजस्व जिले के समस्त थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मोटर यान संहिता से संबंधित वाहनों की क्षमता से अधिक भार (Over Loading) ढोने से संबंधित ऐसे मामले जिसमें अभियुक्त अपराध स्वीकार करना चाहता है और संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया के दौरान यह पाया जाता है कि उनके अर्थदण्ड देने के क्षेत्राधिकार से अधिक अर्थदण्ड दिया जाना विधि में अपेक्षित होगा, ऐसे मामलों का निराकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बिकापुर द्वारा किया जायेगा। ऐसे मामलों से संबंधित थाना क्षेत्राधिकार के विवेचक सीधे ईश्तगासा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बिकापुर के समक्ष पेश कर सकेगें ।

16. ऐसे अन्य प्रकरण जिनका विशिष्ट उल्लेख कार्य विभाजन आदेश में नहीं है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बिकापुर न्यायालय में प्रस्तुत होगें ।

17. अवकाश में अथवा मुख्यालय से बाहर जाने से पूर्व प्रत्येक मजिस्ट्रेट , मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहित प्रभार में कार्य करने वाले मुख्यालय में रहने वाले मजिस्ट्रेट (कार्य उत्तरवर्तीय) को अवकाश की लिखित एवं मौखिक (टेलीफोन से अन्यथा) सूचना अवकाश पर प्रस्थान के पूर्व देगें ।

18. सुश्री पूजा मंडावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीतापुर के द्वारा प्रत्येक शासकीय या अन्यथा घोषित अवकाश के दिवसों में रिमाण्ड संबंधी प्रत्येक आवश्यक कार्य का संपादन किया जावेगा और मुख्यालय में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के रिमाण्ड संबंधी विविध आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बिकापुर द्वारा प्रत्येक माह पृथक से जारी किया जायेगा ।

19. उपरोक्त कार्य विभाजन आदेश माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर के अनुमोदन पश्चात् ही प्रभावशील होगा।

(सुमित कुमार हर्षयाना)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.)

तालिका क्रमांक– 1

क्रं.	स्तंभ क्रं. 1	स्तंभ क्रं. 2	स्तंभ क्रं. 3	स्तंभ क्रं. 4	स्तंभ क्रं. 5	स्तंभ क्रं. 6	स्तंभ क्रं. 7
1	सुमित कुमार हर्षयाना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंबिकापुर	श्रीमती बरखा रानी वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर	श्री गिरिवर सिंह राजपूत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर	श्रीमती कल्पना भगत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर	सुश्री प्रांजलि नेताम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर	श्री अरिंदम नेरल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंबिकापुर	सुश्री पूजा मंडावी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीतापुर
2	श्रीमती बरखा रानी वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर	श्री गिरिवर सिंह राजपूत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर	श्रीमती कल्पना भगत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर	सुश्री प्रांजलि नेताम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर	श्री अरिंदम नेरल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंबिकापुर	सुमित कुमार हर्षयाना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंबिकापुर	सुश्री पूजा मंडावी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीतापुर
3	श्री गिरिवर सिंह राजपूत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर	श्रीमती कल्पना भगत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर	सुश्री प्रांजलि नेताम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर	श्री अरिंदम नेरल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंबिकापुर	श्रीमती बरखा रानी वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर	सुमित कुमार हर्षयाना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंबिकापुर	सुश्री पूजा मंडावी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीतापुर
4	श्रीमती कल्पना भगत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर	श्री अरिंदम नेरल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंबिकापुर	सुश्री प्रांजलि नेताम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर	श्री गिरिवर सिंह राजपूत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर	श्रीमती बरखा रानी वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर	सुमित कुमार हर्षयाना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंबिकापुर	सुश्री पूजा मंडावी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीतापुर
5	सुश्री प्रांजलि नेताम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर	श्री अरिंदम नेरल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंबिकापुर	श्रीमती कल्पना भगत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर	श्री गिरिवर सिंह राजपूत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर	श्रीमती बरखा रानी वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर	श्री सुमित कुमार हर्षयाना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंबिकापुर	सुश्री पूजा मंडावी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीतापुर
6	श्री अरिंदम नेरल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंबिकापुर	सुश्री प्रांजलि नेताम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,	श्रीमती कल्पना भगत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,	श्री गिरिवर सिंह राजपूत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर	श्रीमती बरखा रानी वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर	श्री सुमित कुमार हर्षयाना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,	सुश्री पूजा मंडावी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीतापुर

		अम्बिकापुर	अम्बिकापुर			अंबिकापुर	
7	सुश्री पूजा मंडावी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीतापुर	सुश्री प्रांजलि नेताम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,	श्री अरिंदम नेरल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंबिकापुर	श्रीमती कल्पना भगत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर	श्री गिरिवर सिंह राजपूत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर	श्रीमती बरखा रानी वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर	श्री सुमित कुमार हर्षयाना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंबिकापुर

तालिका क्रमांक–2

क्रं. स.	स्तंभ क्रं. 1 थाना	स्तंभ क्रं. 2	स्तंभ क्रं. 3	स्तंभ क्रं. 4	स्तंभ क्रं. 5	स्तंभ क्रं. 6
1	1. गांधीनगर 2. धौरपुर 3. बतौली	श्रीमती बरखा रानी वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर	श्री गिरिवर सिंह राजपूत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर	श्रीमती कल्पना भगत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर	सुश्री प्रांजलि नेताम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर	श्री अरिंदम नेरल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंबिकापुर
2	1. महिला थाना अम्बिकापुर 2. मणीपुर 3. उदयपुर	श्री गिरिवर सिंह राजपूत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर	श्रीमती कल्पना भगत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर	सुश्री प्रांजलि नेताम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर	श्री अरिंदम नेरल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंबिकापुर	श्रीमती बरखा रानी वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर
3	1. लखनपुर 2. सीतापुर	श्रीमती कल्पना भगत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर	सुश्री प्रांजलि नेताम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर	श्री अरिंदम नेरल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंबिकापुर	श्री गिरिवर सिंह राजपूत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर	श्रीमती बरखा रानी वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर
4	1.कमलेश्वरपुर 2. अम्बिकापुर (धारा 74, 75, 76, 77, 78 व 79 भा.न्या.सं. के अपराध को छोड़कर)	सुश्री प्रांजलि नेताम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर	श्री अरिंदम नेरल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंबिकापुर	श्रीमती कल्पना भगत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर	श्री गिरिवर सिंह राजपूत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर	श्रीमती बरखा रानी वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर
5	1. लुण्ड्रा 2. दरिमा	श्री अरिंदम नेरल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंबिकापुर	सुश्री प्रांजलि नेताम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर	श्रीमती कल्पना भगत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर	श्री गिरिवर सिंह राजपूत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर	श्रीमती बरखा रानी वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर

टीप – 1. थाना कमलेश्वरपुर एवं अम्बिकापुर के धारा 74, 75, 76, 77, 78 व 79 भा.न्या.सं. के अपराध में सुश्री प्रांजलि नेताम न्यायिक मजिस्ट्रेट के विचारण न्यायालय होने के कारण उक्त धारा के कथन अन्तर्गत धारा 183 के कथन श्रीमति बरखा रानी वर्मा द्वारा दर्ज किया जायेगा ।

2. थाना गांधीनगर, धौरपुर एवं बतौली के यदि किसी प्रकरण में विधि के विरूद्ध संषर्घरत बालक के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया हो, तब उन मामलों में श्रीमती बरखा रानी वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट के विचारण न्यायालय होने के कारण उक्त धारा के कथन अन्तर्गत धारा 183 के कथन श्रीमती कल्पना भगत द्वारा दर्ज किया जायेगा ।

(सुमित कुमार हर्षयाना)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.)

प्रतिलिपिः–

1/–माननीय रजिस्ट्रार जनरल छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर को सूचनार्थ सादर संप्रेषित ।

2/–माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अंबिकापुर) को सूचनार्थ संप्रेषित ।

3/–संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंबिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

4/–सेंट्रल फाईलिंग सेक्शन कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय, अम्बिकापुर को सूचनार्थ ।

5/– सहायक प्रोग्रामर, कम्प्यूटर शाखा कार्यालय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा (अम्बिकापुर) को आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित ।

6/–सचिव, अधिवक्ता संघ अंबिकापुर को सूचनार्थ।

7/–अभियोजन अधिकारी, अभियोजन कार्यालय अंबिकापुर को सूचनार्थ ।

8/–पुलिस अधीक्षक, अम्बिकापुर/सरगुजा जिले के समस्त थाना एवं चौकी को सूचनार्थ ।

9/–प्रस्तुतकार, सत्र न्यायाधीश, सरगुजा–अंबिकापुर ।

10/–प्रस्तुतकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबिकापुर को सूचनार्थ ।

Principal District & Sessions Judge
Surguja (Ambikapur) C.G.

(सुमित कुमार हर्षयाना)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.)